सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष, 1937 (श०)

संख्या **33** राँची, सोमवार

18 जनवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

संकल्प

11 जनवरी, 2016

संख्या-8/न॰वि॰/चुनाव/110/2014-**165**-नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा 41 नगर निकायों के समग्र विकास हेतु पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बेरोजगारों को रोजगार हेतु NULM, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, सभी को आवास, AMRUT, स्मार्ट सिटी, घर-घर से कचरा उठाने, सड़क निर्माण, नालियों का निर्माण आदि कई महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। अगले तीन से पाँच वर्षों के अंदर इन सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है, जिससे राज्य के नगर निकायों का कायाकल्प हो सके।

अतएव, नगर निकायों में योजनाओं के त्वरित एवं ससमय क्रियान्वयन हेतु एक दक्ष एवं Professional व्यवस्था स्थापित किया जाना अपरिहार्य एवं आवश्यक प्रतीत हो रहा है ताकि त्वरित निर्णय, भुगतान एवं क्रियान्वयन संभव हो सके।

विगत वर्षों में नगर निकायों में निर्णय लेने एवं भुगतान आदि के मामलों में अत्यधिक विलम्ब एवं विवाद की शिकायतें मिलती रही हैं। अतः सरकार की राशि के सदुपयोग एवं योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम,

2011 में किये गये प्रावधानों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

1. नगर निकायों की स्थाई समिति अथवा बोर्ड की बैठक हेतु संबंधित संचिका उप महापौर/उपाध्यक्ष के माध्यम से महापौर/अध्यक्ष के समक्ष उपस्थापित की जायेंगी और उनके द्वारा पूर्व से निर्धारित तीन दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक निर्णय संसूचित किये जायेंगे।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-55 की उपधारा (09) में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि ''नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी परिषद (Board) और समितियों के संकल्पों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्य संपादित करेगा, जैसाकि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में उपबंधित हो।''

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार नगर निकाय का संपूर्ण प्रशासनिक दायित्व एवं सरकार से सभी प्रकार का पत्राचार नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा ।

3. राशि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए नई योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न रूपेण प्रदान की जायगी:-

क्र॰	योजना की लागत	सक्षम स्वीकृति प्राधिकार
1	5.00 करोड़ रू॰ तक की योजना लागत (नगर निगम)	नगर निगम का बोर्ड
2	1.00 करोड़ रू॰ तक की योजना लागत (नगर परिषद एवं नगर पंचायत)	संबंधित नगर निकाय का बोर्ड

4. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3873 दिनांक 28 अगस्त, 2014 में वर्णित विभिन्न प्रावधानों एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड के द्वारा आवश्यक कार्रवाई ससमय सुनिश्चित की जाएगी । सभी स्तर की नई योजनाओं की स्वीकृति करते समय बोर्ड की निम्नांकित जिम्मेवारी होगीः-

(i) चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त निधि की व्यवस्था कर ली जाए।

(ii) निर्माण संबंधी योजनाओं का प्राक्कलन कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

(iii) क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा जाएगा ।

5. यदि नियमानुसार पुनरीक्षण के कारण योजना लागत में वृद्धि होती है तो इसकी स्वीकृति संबंधित नगर निकाय के बोर्ड की सामान्य बैठक में ली जायगी ।

6. नई योजनाओं में सक्षम प्राधिकार द्वारा योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृत्यादेश संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किये जायंगे ।

7. चालू योजनाओं पर एजेन्सी द्वारा किये गये कार्यों के सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी जाँच एवं आकलन के पश्चात् भुगतान की कार्रवाई नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के स्तर से की जाएगी। यदि योजनाओं/कार्यक्रमों में आमूल-चूल परिवर्त्तन होता है तो उसकी स्वीकृति संबंधित नगर निकाय के बोर्ड की सामान्य बैठक में लिया जाना आवश्यक होगा ।

8. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी पर होगा ।

9. नगर निकायों के नियमित कर्मियों/पदाधिकारियों के मासिक वेतन/संविदा राशि एवं अन्य प्रकार की राशि का भुगतान से संबंधित विषय संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के स्तर से निष्पादित किये जायंगे ।

10. नगर निकाय के नियमित कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारीका प्रशासनिक नियंत्रण होता है। अतः ऐसे कर्मियों/पदाधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार भी नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी का ही होगा।

11. नगर निकाय द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं का भुगतान संबंधित नगर निकाय केनगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार ससमय (Timely) किया जायेगा ।

12. नगर निकायों में भवन उपविधि के आलोक में नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारीकी अध्यक्षता में पूर्व से गठित समिति द्वारा ससमय नक्शा पारित किया जायेगा ।

13. झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 एवं 2015 के अनुरूप सम्पत्ति-कर का निर्धारण हेतु बोर्ड के स्तर से वार्षिक किराया मूल्य (Annual Rental Value) का निर्धारण किया जायेगा तथा इसके अधिरोपण की प्रक्रिया एवं वसूली नियमानुसार नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारीद्वारा सम्पादित की जाएगी ।

14. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 74 में किये गये प्रावधान के आलोक में नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी प्रत्येक माह बोर्ड की नियमानुसार बैठक आहूत करना सुनिश्चित करेंगे ।

15. नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी बोर्ड की बैठक में निकाय द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी योजनाओं की विस्तृत एवं स्पष्ट भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी, सभी योजनाओं का मासिक प्रगति प्रतिवेदन बोर्ड के सभी सदस्यों को उपलब्ध करायेंगे तथा वैसी सभी जानकारी उपलब्ध करायेंगे, जो बोर्ड मांगे ।

16. नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी बोर्ड की बैठक की कार्यवाही तीन दिनों के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करेंगे तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के विभागीय Website एवं निकाय के सूचना पट्ट पर Upload करेंगे।

17. नगर निकायों में क्रियान्वित की जानेवाली सभी योजनाओं की पाक्षिक प्रगति से संबंधित स्पष्ट जानकारी सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेंगे ।

18. नगर निकायों में अधिनियम की धारा 74 के तहत् मासिक बोर्ड की बैठक की वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे ।

19. नगर निकायों के महापौर/उपमहापौर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी एवं पार्षदगण आपस में सामंजस्य स्थापित कर स्वीकृत योजनाओं को ससमय मूर्तरूप प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर सकारात्मक प्रयास करेंगे ।

20. बोर्ड की बैठक में योजनावार खर्च का प्रतिवेदन, राजस्व वसूली, नक्शा पारित करने आदि का प्रतिवेदन बोर्ड के सभी सदस्यों के सम्यक जानकारी हेतु बोर्ड की बैठक में रखेंगे ।

21. नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी बोर्ड/कमिटि की बैठकों द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव पारित करने हेतु आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन एवं सुझाव देंगे,

ताकि बोर्ड द्वारा योजनाओं की मार्गदर्शिका एवं सरकार के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों के अनुरूप ही प्रस्ताव पारित किये जायें ।

22. बोर्ड के अध्यक्ष/महापौर, उपाध्यक्ष/उप महापौर, नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य निम्न स्तर पर किसी भी संचिका को तीन दिनों से अधिक अवधि के लिए लम्बित नहीं रखा जाएगा तथा इस दौरान ही संचिकाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक निर्णय लेना सुनिश्चित किया जाएगा ।

23. पूर्व में निर्गत एतद् संबंधी सभी पत्र/आदेश इस संकल्प के आलोक में संशोधित समझा जाय ।

24. यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा तथा इस संकल्प का शक्ति से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 33—50+200 ।